:: कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग)जिला अलीराजपुर (म0प्र) ::

क्रमांक/निर्माण/2026/2638 अलीराजपुर, दिनांक 15/05/2026

:: संक्षिप्त द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना ::

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से लोक निर्माण विभाग में उचित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से भवन निर्माण हेतु मुख्य अभियंता(भवन) लोक निर्माण विभाग भोपाल द्वारा जारी एवं विद्युत कार्य हेतु एस.ओ.आर. दिनांक 01 जनवरी 2024 एवं 11 अप्रैल 2025 से प्रभावशील एवं आज दिनांक तक संशोधनों सहित पर निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती हैं। ऑनलाईन निविदा विस्तृत शर्ते निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारियां www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है। निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं निविदा में अंकित कार्यो की सूची कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला अलीराजपुर के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

क्र0	निविदा क्रं	कार्य का नाम व विवरण	ठेके की अनुमानित लागत राशि (लाख में)	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र की राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदार की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2026_TAD_208206_4	विकासखंड अलीराजपुर के विभागीय अजजा/अजा छात्रावासों/आश्रमों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में परिसंपत्ति, लघुमूल निर्माण, सुदृढ़ीकरण कार्य, विशेष मरम्मत कार्य , शौचालय निर्माण कार्य एवं विद्युतीकरण तथा विभिन्न कार्य	96.00	96000	10000	06 माह	लो.नि.वि. की केन्द्रीकृत प्रणाली अंतर्गत

शर्ते :-

1/- निविदा की विस्तृत समस्त शर्ते Appendix 2.10 Tender Document अनुसार रहेंगी

शर्ते :-

Key Dates

Sr.No.	Work Department stage	Start	
		Date	Time
1	Publishing Date	18.05.2026	10.00 AM
2	Document Download/Sale start Date	18.05.2026	10.00 AM
3	Seek Clarification Strat Date	--	--
4	Seek Clarification End Date	--	--
5	Pre Bid Meeting Date	--	--
6	Bid submission Strat Date	19.05.2026	10.30 AM
7	Bid submission Closing Date	28.05.2026	6.00 PM
8	Bid Opening Date	30.05.2026	11.00 AM

- उक्त निविदाओं को बेब साईट पर ऑनलाईन निविदा प्रपत्र (क्रय करने की तिथि 18.05.2026 समय प्रातः 10.00 बजे तथा निविदा प्रपत्र ऑनलाईन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 28.05.2026 समय सांय 6.00 बजे तक निर्धारित है। (Tender Document) बेसाईट https:// mptenders.gov.in के माध्यम से क्रय किया जावेगा।
- निविदा की विस्तृत समस्त शर्ते **Appendix 2.10 Tender Document** अनुसार रहेगी, विस्तृत सूचना एवं अन्य जानकारी वेबसाईट **https:// mptenders.gov.in** देखी जा सकती है या सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग अलीराजपुर में देखी जा सकती है।

Scanned with OKEN Scanner

- समस्त निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम दिवस की प्रतिक्षा न करे। शीघ्रताशीघ्र बिड जमा करे। वेबसाईट में किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
- वित्तिय प्रस्ताव किसी भी स्थिति में ऑनलाईन (हार्ड कॉपी में) मान्य नहीं होगा यदि वित्तिय प्रस्ताव मोहरबंद लिफाफे मे या किसी भी प्रकार से ऑफलाईन दिया गया तो वह बिड अमान्य कर दी जावेगी।

ऑनलाईन निविदा की शर्तें:–

1– प्रत्येक निविदा के साथ निविदाकार को ऑनलाईन बिड जमा करते समय निम्न दस्तावेज पी. डी.एफ. लिफाफा–ए में स्कैन कर फाईल अपलोड करना अनिवार्य है।

2– अमानत राशि जो सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग अलीराजपुर के कार्यालय के पक्ष में देय एवं स्थानीय शाखा में भुगतान के योग्य हो तथा कार्यावधि के लिए जमा हों।

3– निविदाकार को अपने कार्य में लोक निर्माण विभाग के केन्द्रीयकृत ऑनलाईन पंजीयन व्यवस्था में पंजीकृत होने का पंजीयन अनिवार्य है। जिन ठेकेदारों का पंजीयन नहीं हुआ है या लायसेंस मियाद समाप्त हो गई है, तो उन्हें मान्य नहीं किया जावेगा।

4– विद्युत कार्य हेतु विद्युत लायसेंसधारी उचित श्रेणी से अनुबंध कर अनुबंध के समय काफी जमा करानी होगी।

5– वैद्य पंजीयन प्रमाण पत्र,आधार कार्ड की छायाप्रति, पेन नम्बर, जीएसटी,शपथ पत्र एनेक्जर–बी (स्टॉम्प–रू 200) organizational Detail से अनुलग्नक–एच (Annexure-H) तक पूर्ण कर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। तथा फर्म/निविदाकार के बैक खाते की पास बुक की प्रति स्पष्ट रूप से अपलोड करना होगी जिसमें संबधित का आयएफएससी कोड व बैंक खाता क्रमांक अंकित हो। निविदाकार के द्वारा ऑनलाईन अपलोड किये गये समस्त दस्तावेज (निविदा शर्तो के अनुसार) सही पाये जाने पर ही वित्तिय ऑफर ऑनलाईन रूप मे निर्धारित दिनांक को खोले जावेगें।

6– निविदाकार को किसी भी विभाग से ब्लैक लिस्टेड नहीं होने संबधी का 200 रु.के नॉन. ज्युडीसियल स्टाम्प या ई–स्टॉप (10 रू नोटरियल टिकट सहित) पर प्रस्तुत करना होगा। यदि ब्लैक लिस्टेड होने संबंध में कोई जानकारी विभाग को प्राप्त होती है तो इस स्थिति मे संबधित निविदाकार /ठेकेदार की निविदा/अनुबंध को समाप्त कर दिया जावेगा एवं इस हेतु शासन को होने वाली आर्थिक हानि के लिये ठेकेदार स्वंय उत्तरदायी होगा।

7– निविदाकार को विगत 01 वर्ष की आयकर विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं 01 वर्ष की जीएसटी रिर्टन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8– कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

निविदा के लिये अपेक्षित किसी भी दस्तावेज के ऑनलाईन प्राप्त नहीं होने की दशा में निविदाकार अपात्र रहेंगा, निरस्त हो जाने पर संबंधित निविदाकार व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगा।

9– यदि किसी निविदाकार द्वारा अंको एवं शब्दों में दी गई दरों में भिन्नता पाई गई तो उस अवस्था में न्युनतम दर को मान्य किया जावेंगा।

10– पूर्ण निविदा प्रस्ताव ऑनलाईन दिनांक एवं समय के अनुसार मान्य किये जावेगें। ठेकेदार प्रदत्त निविदा के साथ अमानत राशि प्रस्तुत करें। पूर्व निविदा की राशि समायोजित नहीं कि जावेगी। अमानत राशि फिक्स डिपाजिट संबंधित सहायक आयुक्त,जनजातीय कार्य विभाग अलीराजपुर के पक्ष में देय हो तथा कार्यावधि के लिए जमा हो।

11– निविदाकार को समस्त अभिलेख स्वसत्यापित प्रतियां अपलोड करना अनिवार्य होगा।

12– निविदाकार को तकनिकी रूप से स्वीकृत प्राक्कलन में उल्लेखित सभी कार्यो को गुणवत्तापूर्ण रूप से उपयुक्त सामग्री का उपयोग करते हुए विभागीय उपयंत्री के मार्गदर्शन में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा तथा वरिष्ठ विभागीय/अन्य तकनिकी अधिकारीयों के द्वारा स्वीकृत कार्य संबध में कोई तकनिकी सुधार कार्य के निर्देश प्रदान किये जाते है तो विभागीय निर्देशो के तहत तकनिकी रूप के कार्यो को करना अनिवार्य होगा।

13– कार्य में किसी प्रकार का विलम्ब होने पर अथवा किन्ही भी परिस्थितियो में मुल्य वृद्वि देय नहीं होगी।

14– विभाग द्वारा निर्धारित स्पेशीफिकेशन के अनुसार निर्माण कार्य संपादित कराना अनिवार्य होगा, बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के स्थल पर निविदा के आमंत्रित कार्य में किसी भी प्रकार का परिर्वतनशील कार्य नही किया जावेगा, यदि निविदाकार द्वारा समयावधी मे कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेंगी।

Scanned with OKEN Scanner

15— कार्य करने के दौरान किसी भी श्रमिक की दुर्घटना का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित ठेकेदार का ही होगा। ठेकेदार की यह व्यक्तिगत जिम्मैवारी होगी कि कार्य से संलग्न मजदूरों की मजदुरी का भुगतान श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर ही हो, साथ ही मजदुरो की सुरक्षा बीमा, सुरक्षा उपकरण हेतु भी ठेकेदार व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी होगा किसी भी दशा मे विवाद की स्थिति अथवा दुर्घटना की स्थिति में विभाग जिम्मैवार नहीं होगा। साथ ही मजदूरों का पुलिस वेरिफिकेशन स्थानीय पुलिस थाने से करवाना अनिवार्य होगा।

16— निविदाकार या फर्म के द्वारा एक कार्य की एक से अधिक निविदा प्रस्तुत नहीं की जावेगी। प्रत्येक कार्य के लिए निविदाकार के द्वारा पृथक–पृथक रूप से निविदा प्रस्तुत की जावेगी ।

17— निविदा स्वीकृति उपरांत अनुबंध हेतु प्रेषित पत्र के तहत निविदाकार को 10–दिवस मे अनुबंध करना होगा।

अनुबंध संपादित नहीं करने पर म.प्र.शासन,लोक निर्माण मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/556/8003/19/योजना/2004,दिनांक 28.01.2005 अनुसार अमानत राशि भी राजसात कर ली जावेंगी। विभाग द्वारा जारी प्रथम पत्र में उल्लेखित समय सीमा में यदि ठेकेदार द्वारा performance Guarantee एवं Additional Performance Guarantee की राशि की एफडीआर सहित अनुबंध हेतु उपस्थित नहीं होता है तो विभाग द्वारा शासन हित मे एकतरफा कार्यवाही करते हुये निविदाकार द्वारा कार्य हेतु जमा की गई धरोहर राशि राजसात की जा सकेगी एवं इस हेतु समयावधी उपरांत ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत काई भी क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा।

18— वर्क कॉन्ट्रेक्ट के मुल्य पर शासन की अधिसूचना दिनांक 30 जुलाई 2025 द्वारा दिये गये संशोधन अनुसार पचास लाख तक 1000/–रूपये तथा पचास लाख से अधिक है अध्यधीन रहते हुए, 0.2 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क प्रभार्य रहेगा।

19— किसी भी कार्य की निविदा दर स्वीकृत होने के पश्चात 5% performance Guarantee राशि की एफ.डी.आर. अनुबंध के पूर्व जमा करना अनिवार्य है जो सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग आलीराजपुर के पक्ष में देय हो तथा कार्यावधि के लिए जमा हो।

20— किसी भी कार्य हेतु निविदा दर एंस.ओ.आर की दर से 10% कम (Below) से अधिक कम (Below) प्राप्त होने पर न्युनतम निविदा दर हेतु Additional Performance Guarantee राशि की एफ.डी.आर अनुबंध के पूर्व सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग आलीराजपुर के पक्ष मे देय हो जमा करना अनिवार्य होगा। **(म.प्र.लोक निर्माण विभाग मंत्रालय के ज्ञाप क्रं –एफ–53/02/2011/यो/19 /524,भोपाल,दिनांक 14.02.2025 अनुसार लागू होगी)**

21— कार्य हेतु दी गई समयावधि में कार्य पूर्ण करना होगा, यदि निविदाकार द्वारा समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो शासन नियमानुसार अर्थदण्ड की कार्यवाही राजस्व वसुली की भांती की जावेगी। निविदा मे अंकित कार्य का स्थान परिर्वतन करने हेतु जनजातीय कार्य विभाग म.प्र भोपाल/जिला कार्यालय अलीराजपुर को पूर्णतः अधिकार रहेगा।

निविदाकार द्वारा अनुबंध करने के पश्चात कार्यादेश जारी होने पर 15 दिवस के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो स्वीकृत निविदा निरस्त किये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी को आगामीं कार्यवाही का पूर्ण अधिकार होगा एवं कार्य प्रारंभ न किये जाने के फलस्वरूप पुनः निविदा आंमत्रित किये जाने की स्थिति मे निविदाकार के द्वारा जमा की गई एफडीआर/performance Guarantee एवं Additional performance Guarantee की राशि राजसात की जावेगी।

22— कार्यो के दयको का भुगतान शासन से कार्य स्वीकृति तहत उपलब्ध कराये जाने वाले मदवार आवटंन के अनुसार किया जावेगा।

23— निविदा में अंकित कार्य की मात्रा को कम या ज्यादा करने हेतु कार्यालय को पूर्ण अधिकार होगा।

24— शासन नियमानुसार लागु व मान्य सुरक्षा निधि/आयकर/जीएसटी तथा श्रमिक कल्याण निधि की राशि का नियमानुसार कार्य के देयको से कर कटोत्रा किया जावेगा।

25— विद्युतीकरण कार्य में उपयोग किये जाने वाले खनिज सामग्री की रायल्टी का भुगतान ठेकेदारों को करना होगा। जिसकी जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदारों की स्वंय होगी। खनिज विभाग से रायल्टी चुकता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर कार्यालय में देयक सहित प्रस्तुत किया जावेंगा।

26— कार्य की प्रगति प्रतिवेदन के साथ स्थल में चल रहे निर्माण कार्य के सभी कोण से कम से कम 8 रंगीन फोटोग्राफ प्रस्तुत करने होंगे बिना फोटो के किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

27— निविदाकार के द्वारा विभाग/कार्यालय अन्तर्गत स्वीकृत अनुबंधित किसी कार्य को ले–आउट देने के 15 दिवस के अंदर बंद/अप्रारंभ स्थिति में रखा या छोड़ा गया है तो वह ठेकेदार/निविदाकार इस निविदा प्रस्तुति के लिये अपात्र रहेगा।

28— निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित होगा। कारण बताने के लिये कार्यालय बाध्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र आलीराजपुर रहेगा।

29— निविदायें कलेक्टर एवं गठित समिति के समक्ष खोली जावेंगी।

30— निविदाकार/ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य की गारंटी एक वर्ष की होगी एवं एक वर्ष तक कार्य में किसी भी प्रकार की कमी आने पर ठेकेदार द्वारा अपने व्यय पर सुधार कार्य करना होगा।

31— कार्य की परफारमेंस,अतिरिक्त परफारमेंस एवं सुरक्षा निधि(एक वर्ष बाद वापस की जाती है) की राशि कार्य पूर्ण होने के बाद नियमानुसार वापस की जावेंगी।

32— निविदा से संबंधित किसी भी वाद–विवाद पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग आलीराजपुर
आलीराजपुर,दिनांक 15-05-2026

पृ0क्रमांक/निर्माण/2026/2639
प्रतिलिपिः—

1— आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश भोपाल।
2— कलेक्टर,जिला आलीराजपुर।
3— मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आलीराजपुर।
4— संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति विकास इन्दौर संभाग इन्दौर ।
5— कार्यपालन यंत्री,जनजातीय कार्य विभाग म.प्र.भोपाल/इंदौर।
6— कार्यपालन यंत्री लोक निमार्ण विभाग(भवन)आलीराजपुर।
7— जिला कोषालय जिला आलीराजपुर ।
8— सहायक संचालक जिला जनसंम्पर्क कार्यालय आलीराजपुर की ओर सुचनार्थ।
9— सहायक यंत्री,जनजातीय कार्य विभाग आलीराजपुर।
10— प्राचार्य,एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय आलीराजपुर(आम्बुआ)
11— खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड अलीराजपुर।
12— उपयंत्री जनजातीय कार्य विभाग आलीराजपुर ।
13— विभागीय जनजातीय कार्यालय सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग आलीराजपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by SHAILESH SASTIYA
Date: 2026.05.17 17:26:49 IST
Location: Madhya Pradesh-MP

Scanned with OKEN Scanner